



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 318]  
No. 318]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 24, 1995/श्रावण 2, 1917  
NEW DELHI, MONDAY, JULY 24, 1995/SRAVANA 2, 1917

मानव संसाधन विकास मंत्रालय  
(महिला और बाल विकास विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 1995

सा.का.नि. 562(अ).—केन्द्रीय सरकार, शिशु दुग्ध अनुकल्प पोषण बोतल और शिशु खाद्य (उत्पादन प्रदाय और वितरण विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 का 41) की धारा 21 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त धारा के अधीन लिखित रूप में गिकायत करने के लिए बाल कल्याण और विकास तथा बाल पोषाहार में लगे निम्नलिखित स्वैच्छिक संगठन को प्राधिकृत करती है, अर्थात्:—

ब्रैस्टफीडिंग प्रमोशन नेटवर्क ऑफ इंडिया (बी पी एन आई)

बी पी-33, पीतमपुरा, दिल्ली-34

और उक्त प्रयोजन के लिए भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला और बाल विकास विभाग) की अधिसूचना सं. सा. का. नि. 540(अ), तारीख 27 जून, 1994 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, क्रम सं. 3 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टि जोड़ी जाएगी, अर्थात् :—

“4. ब्रैस्टफीडिंग प्रमोशन नेटवर्क ऑफ इंडिया (बी पी एन आई) बी पी-33 पीतमपुरा, दिल्ली-34।”

[फा. सं. 12-9/94 एन टी]

बी. सैन, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of Women and Child Development)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 24th July, 1995

G.S.R. 562(E).—In exercise of the powers conferred by clause (c) of Sub-Section (1) of Section 21 of the Infant Milk Substitutes, Feeding Bottles and Infant Foods (Regulation of Production, Supply and Distribution) Act, 1992 (41 of 1992), the Central Government hereby authorises the following voluntary organisation engaged in the field of child welfare and development and child nutrition to make a complaint in writing under the said section, namely :—

Breastfeeding Promotion Network of India (BPNI),  
BP-33, Pitampura, Delhi-34.

and for the said purpose makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Human Resource Development (Department of Women and Child Development) G.S.R. 540(E), dated the 27th June, 1994, namely :—

In the said notification, after serial No. 3 and the entry relating thereto, the following serial number and entry shall be added, namely :—

“4. Breastfeeding Promotion Network of India (BPNI),  
BP-33, Pitampura, Delhi-34.”

[F. No. 12-9/94-NT]

B. SEN, Jt. Secy.



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

270] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 28, 1994/ज्येष्ठ 7, 1916  
270] NEW DELHI, TUESDAY JUNE 28, 1994/ASHLEHA 7, 1916

मानव संसाधन-विकास मंत्रालय  
(महिला और बाल विकास विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जून, 1994

सा.का.नि. 540(प्र).—नेशनल संगठन, एन.ए.ए. प्रमुख प्रमुख, पोषण बोर्ड और शिशु खाद्य (उत्पादन, प्रदाय और वितरण महत्वाकांक्षी) प्रायोजन, 1992 (1992 का 41) की धारा 21 की उपधारा (1) के खंड (ग) द्वारा प्रदाय आरम्भ का प्रयास करते हुए, उक्त

धारा के अधीन लिखित रूप में विज्ञापन करने के लिए बाल कल्याण और विकास तथा बाल पोषण के क्षेत्र में लोक हित विमोचक स्वैच्छिक संगठनों को प्राधिकृत करती है, अर्थात् :—

1. केंद्रीय बाल कल्याण बोर्ड,  
संघर्ष कल्याण संघ,  
बी-12, तारा क्रॉस, इंस्टीट्यूशनल एरिया,  
साउथ ऑफ आई आई टी, नई दिल्ली-110016
2. भारतीय बाल कल्याण परिषद,  
4, दीन दयाल जाधवाय मार्ग,  
नई दिल्ली-110021
3. एंजेलिंगन हर कन्ज्यूमर एक्शन प्राफ सेक्टरी एंड हेल्थ  
(ए सी ए एस एच),  
कमरा सं. 21, लायर चेम्बर,  
आर. एस. सभरा मार्ग,  
मुम्बई-40002

[फा. सं. 12-1/93-एन.टी.]

मीनाक्षी आनन्द चौधरी, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of Women and Child Development)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 27th June, 1994

G.S.R. 540(E)—in exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (1) of Section 21 of the Infant Milk Substitutes, Feeding Bottles and Infant Foods (Regulation of Production, Supply and Distribution) Act, 1992 (41 of 1992), the Central Government hereby authorises the following voluntary organisations engaged in the field of child welfare and development and child nutrition to attend a complaint in writing under the said section, namely :—

1. Central Social Welfare Board  
Samaj Kalyan Bhawan,  
B-12, Tara Crescent, Institutional Area,  
South of IIT, New Delhi-110016.

2. Indian Council for Child Welfare,  
4, Deen Dayal Upadhyaya Marg,  
New Delhi-110002.
3. Association for Consumer Action on Safety and Health (ACASH),  
Room No. 21, Lawyers's Chambers,  
R. S. Sapra Marg,  
Bombay-400002.

[F. No. 12-1/93-NT]

MEENAXI ANAND C IAUDHRY, Jt. Secy.